संख्या- 7/1582/92-2014-3ब/2013

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 10 अप्रैल, 2014

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अन्तर्गत अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में व्यय हेतु लेखानुदान अवधि (प्रथम चार माह) के लिये धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपयुर्क्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अन्तर्गत अधिष्ठान की विभिन्न मानक मदों में व्यय हेतु प्रथम चार माह (अप्रैल से जुलाई, 2014 तक) के लिये निम्न विवरण के अनुसार मतदेय मद में मु0-1001980 हजार (रूपये एक अरब उन्नीस लाख अस्सी हजार मात्र) एवं भारित मद में मु0-250 हजार (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि (हजार रूपये में)**
1	**2**	**3**
1	01- वेतन	447800
2	02- मजदूरी	10300
3	03- मंहगाई भत्ता	470190
4	04- यात्रा व्यय	3333
5	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	666

http://shasanadesh.up.nic.in

6	06- अन्य भत्ते	44800
7	08- कार्यालय व्यय	333
8	09- विद्युत देय	1333
9	10- जलकर/जलप्रभार	42
10	11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	200
11	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	167
12	13- टेलीफोन पर व्यय	333
13	14- मोटर गाड़ियों का क्रय	900
14	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2150
15	16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	267
16	17- किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	697
17	29- अनुरक्षण	133
18	42- अन्य व्यय-मतदेय भारित	1 250
19	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	833
20	45- अवकाश यात्रा व्यय	133
21	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	7044
22	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	225
23	49- चिकित्सा व्यय	10000
24	51- वर्दी व्यय	100
	योग-मतदेय **भारित**	**1001980** **250**

2- व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-975/दस-2014-231/2014 दिनांक 14-03-2014 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं मितव्ययिता से सम्बन्धित मदों में आवंटित धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये एवं मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। जिन मदों में व्यय के पूर्व शासन के अनुमोदन की आवश्यकता हो उन पर बिना शासन के पूर्वानुमोदन के व्यय नहीं किया जायेगा।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या- 7/1582(1)/92-2014-तद्वदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4 वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिशिर कुमार यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in